

कृषि महाविद्यालय, बायतु, बाड्मेर—344034 (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU, BARMER—344034 (AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

Prof. Ummed Singh Dean

Phone: 9530490348 E Mail: coabaytubarmer@gmail.com

Dated: 01-10-2021

No. F. (01)/Acad-UG/COA/Baytu/2021/101

NOTIFICATION

In compliance of notification of Finance Department (General Finance & Acctts Rules), Government of Rajasthan Circular No. प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021, दिनांक 30.03. 2021 "Vidhya Sambal Yojana" for smooth teaching work in the college applications are invited. Applications in the prescribed format for engaging/hiring Guest Faculty (purely on contractual basis) from persons having essential qualifications under the mentioned subjects for the College of Agriculture, Baytu, Barmer are invited. So that teaching work may be completed smoothly in the college.

Kindly visit the University (Agriculture University, Jodhpur) website www.aujodhpur.ac.in for the detailed information on subjects, essential qualification, application form/proforma, score card etc. The desirous applicants should submit the application completed in all respects along with all the necessary documents in the office of the Dean, College of Agriculture, Baytu, Barmer-344034 on or before **18/10/2021** upto 05:00 PM.

Requirement of Guest Faculty:

| S. No. | Subject | Number | College Name |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | English | 01 | College of Agriculture, |
| 2 | Plant Biochemistry/Plant | 01 | Baytu, Barmer |
| | Biotechnology | | |

Remuneration will be paid as per notification of Finance Department (General Finance & Acctts Rules), Government of Rajasthan Circular No. प. 6(2)वित्त / साविलेनि / 2021, दिनांक 30.03.2021 (see detailed information at the website).

(Ummed Singh)
Dean

Copy to the followings for information and n/a, if any:-

- 1. The Faculty Chairman (Agriculture), AU, Jodhpur
- 2. The Registrar, AU, Jodhpur
- 3. The Comptroller, AU, Jodhpur
- 4. Ps to Hon'ble VC, AU, Jodhpur for his kind information
- 5. Account section, COA, Baytu
- 6. Website Incharge, AU, Jodhpur for uploading at the website
- 7. Guard File

(Academic Incharge)



कृषि महाविद्यालय, बायतु, बाड़मेर—344034 (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU, BARMER—344034 (AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

Terms and Conditions for Hiring of Guest Faculty

Essential Qualifications:

- ➤ A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever a grading system is followed) will be required at the mater's level degree in the relevant subject from the recognized University.
- ➤ Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the eligibility test viz; National Eligibility Test (NET)/SLET/SET whichever is applicable and conducted by the UGC/CSIR/ASRB/NTA/RPSC or concerned institution/organization in the concerned or relevant subject.
- ➤ For the candidate having Master's degree, along with eligibility test like NET/SLET/SET shall remain compulsory along with one publication in NAAS/UGC rated referred journal for selection of Guest Faculty in the disciplines in which eligibility test viz; NET/SLET/SET is conducted. Essentiality of eligibility test viz; NET/SLET/SET can be waved off for the candidates holding Ph.D. degree provided it has been done with course work as prescribed by the UGC regulations-2009, and the candidate has at least two full length publication having NAAS/UGC rating/referred, on the date of submission of application.
- ➤ Those candidate with Ph.D. degree without course work will not qualify for NET/SLET/SET exemption.

Desirable:

> Ph.D. degree in the relevant subject.

Selection Procedure:

- > The selection committee will prepare merit list as per marks obtained in the Score Card and services of persons may be taken on merit basis as per availability. The selection committee will prepare panel of 3 to 5 applicants on each vacant post. Ambiguity, if any, arises during or at the later stages of selection, decision of the committee will be final.
- > Preference will be given to retired and experienced faculty
- An affidavit will be produced by the applicant at the time of joining as Guest Faculty (as per Finance (General Finance & Acctts Rules), Government of Rajasthan Circular No. प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021, दिनांक 30.03.2021)
- > Guest faculty arrangement will be automatically terminated when Course completed or vacancy filled by regular recruitment/appointment.

General Instructions:

- 1. Separate application form is required for each subject
- 2. The application form received after the stipulated date will not be entertained.
- 3. No TA/DA shall be paid for attending interview, if conducted.
- 4. Self-attested copies of marksheet, other essential certificates must be enclosed with the application form.
- 5. Incomplete application form will be rejected without any prior notice.
- 6. No Objection certificate from their employer will be required, if in employment and permissible by their parent institute/college/university.
- 7. An affidavit is to be produced at the time of joining as Guest Faculty.

(Ummed Singh)
Dean



COLLEGE OF AGRICULTURE, BAYTU, BARMER—344034 (AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

Application Form for Guest Faculty

Latest
Passport
Size
Photograph
& Signature

| App | lication for C | auest | Faculty | in | the | discipl | ine/ |
|-------|-------------------------------------|-------|--------------|------|---------------------|---------|-------|
| subj | ject | ••••• | Notification | ı No | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | •••••• | ••••• | Dated | • | • • • • • • • • • • | (as | per |
| Noti | fication) | | | | | | |
| 1. | Name | : | | | | | |
| 2. | Father's Name | : | | | | | |
| 3. | Date of Birth | : | | | | | |
| 4. | Caste/Category | : | | | | | |
| 5. | Corresponding Address with Pin code | : | | | | | |
| 6. | Email ID | : | | | | | |
| 7. | Mobile No. (Self) | : | | | | | |

| 8. | Academic Achievements (Starting from matriculation) | | | | | | | |
|------|---|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| SNo. | Examination /Degree | Board/University | Subject/ Specialization | Year of Passing | Division/ Grade | Marks(%) /OGPA | Certificate/ documents Encl No. | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

| Date | e: N | ame: |
|--|---|---|
| Plac | ce: S | ignature: |
| here to the found apple as a basis produced again. | eby declare that the information he best of my knowledge and be and false/doubtful before the false/doubtful before the guest faculty will be purely one is/hourly basis. I solemnation and the false/request any kind of doubtful be beto false. | S/o,D/o,W/o |
| 10. | a recognized university/colleg | G/Ph.D. degree programmes in ge/institution (in years) attach |
| | c. d. | |
| | b. | |
| | Publications (Research papers ttach a separate sheet (if requi a. | published in referred journals) red). |



राजस्थान सरकार वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों—विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा—निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों / प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 'विद्या संबल योजना' लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं:—

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

- 2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
- 3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- 4. गैस्ट फैकल्टी / चयन प्रक्रिया :
 - (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजिनक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार—संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।
- गैस्ट फैकल्टी हेतू देय मानदेय की दरें :

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

| पद (अध्यापक / प्रशिक्षक) | कक्षा | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| ग्रेड-।।। | 1 से 8 | 300/- | 21000 / |
| ग्रेड-।। | 9 से 10 | 350/- | 25000 / - |
| ग्रेड-। | 11 से 12 | 400 / - | 30000/- |
| अनुदेशक | and the second | 300 / - | 21000/- |
| प्रयोगशाला सहायक | | 300/- | 21000 / - |

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज:

| पद | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|--------------|-------------------|---------------------|
| सहायक आचार्य | 800 / - | 45000 / — |
| सह आचार्य | 1000/- | 52000 / |
| आचार्य | 1200/- | 60000 / |

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ—पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

- गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
- 8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
- 9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- सचिव, राज्यपाल / प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री / विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
- उप सिचव, मुख्य सिचव / निजी सिचव, समस्त अति. मुख्य सिचव / प्रमुख शासन सिचव / शासन सिचव / विशिष्ठ शासन सिचव ।
- 3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
- 4. सचिव, लोकायुक्तं सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर I
- 6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
- 7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपूर ।
- प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
- 9.) समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
- 10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
- 11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपूर ।
- 12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
- 13. समस्त कोषाधिकारी ।
- 14. समस्त उपापन संस्थाएं।
- 15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपन्न को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता) संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - **04** /2021)

शपथ-पथ

| ग्रेस्ट | में श्री/श्रीमती/कुमारीएत्र/पुत्री/पत्नी श्री विभागएतंस्थान का नाम) में दिनांकके फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं। |
|---------|---|
| 1. | यह है कि मैंनेविभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं। |
| 2. | यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांकको अच्छे से पढ़/समझ लिया है। |
| 3. | यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। |
| 4. | यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.से. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं। |

- 5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यिद जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
- 6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

- 7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा / करूंगी ।
- 8. यह है कि मैं इस तथ्य से भिलभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- 9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
- 10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
- 11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय—समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
- 12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
- 13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
- 14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

में शपथपूर्वक बयान करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य / सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भिलभाति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना / तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता